



दिनांक 19.01.2026

प्रेस विज्ञप्ति 40 / 2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद झाँसी/थाना चिरगाँव

- 01 अभियुक्त गिरफ्तार
- लूट के 02 लाख रुपये नगद आदि बरामद

दिनांक 19.01.2026 को थाना चिरगाँव पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर अभियुक्त विकास को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से लूट के 02 लाख रुपये नगद आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 12.01.2026 को थाना चिरगाँव क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना चिरगाँव पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी व माल बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्त से बरामद रुपया उक्त लूट की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना चिरगाँव पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1-विकास निवासी ग्राम पाली पहाड़ी थाना रक्सा जनपद झाँसी।

बरामदगी

1-लूट के 02 लाख रुपये नगद आदि।

जनपद बदायूँ/थाना अलापुर

- 01 अभियुक्त गिरफ्तार
- लगभग 01 करोड़ 50 लाख रुपये कीमत की चोरी के 01 किलो 168 ग्राम पीली धातु के बिस्किट बरामद

दिनांक 19.01.2026 को थाना अलापुर, क्राइम ब्रान्च व जनपद सांगली महाराष्ट्र की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम गभियाई से ग्राम ईकरी जाने वाले मार्ग पर राजकीय इण्टर कॉलेज के पास से अभियुक्त राहुल को

गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से लगभग 01 करोड़ 50 लाख रुपये कीमत की चोरी के 01 किलो 168 ग्राम पीली धातु के बिस्किट बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 07.01.2026 को थाना आटपाड़ी जनपद सांगली महाराष्ट्र में चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना आटपाड़ी पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी व माल बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्त से बरामद पीली धातु उक्त घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना अलापुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—राहुल निवासी वार्ड नं०—4 कस्बा ककराला थाना अलापुर जनपद बदायूँ।

बरामदगी

1—लगभग 01 करोड़ 50 लाख रुपये कीमत की चोरी के 01 किलो 168 ग्राम पीली धातु।

जनपद संतकबीरनगर/थाना बखिरा

- चोरी की घटनाओं का अनावरण
 - 05 अभियुक्त गिरफ्तार
 - लगभग 30 लाख रुपये कीमत की चोरी के पीली धातु के आभूषण
 - चोरी के 75 हजार 200 रुपये नगद
 - 01 अवैध तमंचा 12 बोर मय जीवित कारतूस बरामद

दिनांक 19.01.2026 को थाना बखिरा व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम बौरव्यास सहजनवा बखिरा मार्ग से 05 अभियुक्तों 1—बलजीत 2—प्रिंस 3—महेन्द्र 4—रवि को गिरफ्तार कर चोरी की घटनाओं का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के निशादेही पर कस्बा सहजनवा के पास से अभियुक्त 5—फारूख को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 30 लाख रुपये कीमत की चोरी के पीली धातु के आभूषण, चोरी के 75 हजार 200 रुपये नगद, 01 अवैध तमंचा 12 बोर मय जीवित कारतूस बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 17.12.2025 को थाना बखिरा क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना बखिरा पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद आभूषण, रूपया चोरी की घटनाओं से सम्बन्धित है। गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त बलजीत के विरुद्ध जनपद गोरखपुर, संतकबीरनगर के विभिन्न थानो में चोरी आदि के 05 अभियोग एवं अभियुक्त प्रिंस के विरुद्ध जनपद गोरखपुर, बस्ती व संतकबीरनगर के विभिन्न थानो में लूट, चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के 08 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना बखिरा पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

- 1-बलजीत निवासी बोक्टा थाना गीडा जनपद गोरखपुर।
- 2-प्रिंस निवासी सिसवा सोनबरसा थाना हरपुर बुदहट जनपद गोरखपुर।
- 3-महेन्द्र निवासी इमलिहा लक्ष्मीगंज थाना रामकोला जनपद कुशीनगर।
- 4-रवि निवासी सेक्टर 22 गीडा डिहवा थाना गीडा जनपद गोरखपुर।
- 5-फारुख निवासी डवलेश्वर थाना विटा जनपद सांगली राज्य महाराष्ट्र हालपता कस्बा सहजनवा थाना सहजनवा जनपद गोरखपुर।

बरामदगी

- 1-लगभग 30 लाख रुपये कीमत की चोरी के पीली धातु के आभूषण।
- 2-चोरी के 75 हजार 200 रुपये नगद।
- 3-01 अवैध तमंचा 12 बोर मय जीवित कारतूस।

जनपद बलिया/थाना नरही

- 01 अभियुक्त गिरफ्तार
- लगभग 75 लाख रुपये कीमत की 9086.4 लीटर अवैध अंग्रेजी शराब
- घटना में प्रयुक्त ट्रक आदि बरामद

दिनांक: 18.01.2026 को थाना नरही पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर सोहांव पेट्रोल पम्प के पास से अभियुक्त अचलाराम को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से लगभग 75 लाख रुपये कीमत की 9086.4 लीटर अवैध अंग्रेजी शराब, घटना में प्रयुक्त ट्रक आदि बरामद हुये।

इस सम्बन्ध में थाना नरही पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—अचलाराम निवासी मिठी बेरी गोलिया जैतमाल जनपद बाड़मेर, राजस्थान।

बरामदगी

1—लगभग 75 लाख रुपये कीमत की 9086.4 लीटर अवैध अंग्रेजी शराब।

2—घटना में प्रयुक्त ट्रक आदि आदि।

- जनपद कुशीनगर/थाना खड्डा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा व 60—60 हजार रुपये अर्थदण्ड)

जनपद कुशीनगर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद कुशीनगर द्वारा थाना खड्डा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376(2)(9)/506 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1—विरेन्द्र 2—मुकेश को आजीवन कारावास व 60—60 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- जनपद अमरोहा/थाना रजबपुर(प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 40 हजार रुपये अर्थदण्ड)

जनपद अमरोहा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद अमरोहा द्वारा थाना रजबपुर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 137(2)/65(2) भादवि व 5एम/6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त कृष्ण को आजीवन कारावास व 40 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।



दिनांक 19.01.2026

प्रेस विज्ञप्ति 41 / 2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

भ्रष्टाचार निवारण संगठन, उ0प्र0 की अयोध्या इकाई द्वारा की गयी ट्रेप की कार्रवाई

मा० मुख्यमंत्री उ0प्र0, श्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा भ्रष्टाचार के विरुद्ध “जीरो टॉलरेंस” की नीति तथा पुलिस महानिदेशक उ0प्र0, श्री राजीव कृष्ण के सख्त निर्देशों के अनुपालन में भ्रष्टाचार निवारण संगठन, उ0प्र0 द्वारा निरंतर प्रभावी एवं कठोर कार्रवाई की जा रही है।

उक्त निर्देशों के क्रम में आज दिनांक 19.01.2026 को **भ्रष्टाचार निवारण संगठन अयोध्या इकाई** द्वारा सूरज कुमार निवासी ग्राम खलसापुर थाना बदोसराय जनपद बाराबंकी से मुल्लिम बनने से बचाने के एवज में अवैध धनराशि की मांग के सम्बन्ध में की गयी शिकायत पर निरीक्षक श्री सुनील कुमार के नेतृत्व में पल्हरी ओवरब्रिज बाराबंकी के पास से **1-उ0नि0 सुरेश कुमार (थाना बदोसराय बाराबंकी)** पुत्र स्व0 रामनाथ निवासी रावतपुर थाना बारासगवर जनपद उन्नाव **2-कम्प्यूटर आपरेटर अशफाक अहमद (संयुक्त निदेशक अभियोजन कार्यालय बाराबंकी)** पुत्र इसरार अहमद निवासी अद्रा थाना बदोसराय जनपद बाराबंकी को **25 हजार रुपये रिश्वत** लेते हुए गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।
